(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से सम्बद्ध)

सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश

प्रान्तीय कार्यालयः 'प्रज्ञादीप' हर्षवर्धन नगर, भोपाल-४६२००३

दूरभाषः (0755) 2761225, ई-मेलः *vidyabhartibpl@gmail.com,*

पंजीयन क्र.-17195 *www.vidyabhartimp.org* ***Date: 7-10-1986***

पत्र क्रमांक : 905/2020 दिनांक-16/03/2020

प्रति,

श्रीमान व्यवस्थापक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य महोदय,
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ....
मध्यभारत प्रान्त

विषयः- कोरोना वाइरस संक्रमण से बचाव हेतु विद्यालयों का अवकाश बाबत्।
संदर्भः- म.प्र. शासन का आदेश 483/670/2020/20-2 भोपाल
दिनांक 13.3.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान म.प्र. की वार्षिक परीक्षा / मूल्यांकन के समय चक्र में संशोधन किया जा रहा है।

1. आगामी 16 से 20 मार्च की सभी परीक्षाओं को स्थगित किया जाता है। यह परीक्षाऐं इसी क्रम में 26 से 31 मार्च के मध्य किया जाना प्रस्तावित है।

2. शासन के निर्देशानुसार सभी बोर्ड परीक्षाऐं यथावत चलेंगी।

इस अनुसार सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान की 5वीं, 8वीं परीक्षाऐं भी पूर्व समय चक्र अनुसार ही होंगी। (क्योंकि सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान इन परीक्षाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन करता है।)

धन्यवाद्।

संलग्न- म.प्र. शासन का पत्र।

(मोहनलाल गुप्ता)
प्रादेशिक सचिव

प्रतिलिपिः-

1. श्रीमान अध्यक्ष/संगठन मंत्री/सहसंगठन मंत्री मध्यभारत प्रान्त।
2. श्रीमान प्रान्त प्रमुख/समस्त विभाग समवन्यक मध्यभारत प्रान्त।

E:\P-July 19-20 Daly Letter

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

क्रमांक 483 / 670/2020/ 20 -2 — भोपाल, दिनांक 13. 03. 2020

आदेश

राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित के दृष्टिगत , नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु एवं विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित / उपस्थित होने के परिणामस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एहतियात के रूप में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है –

1. मध्यप्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा ।
2. मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 05 एवं कक्षा 08 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा ।
3. मध्यप्रदेश में कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षाओं (चाहे वे किसी भी सक्षम बोर्ड/प्रबंधन के तत्वावधान में आयोजित की जा रहीं हो) का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा.
4. उक्त अवधि में मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में समस्त शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहकर यथावत शासकीय/अकादमिक कार्य सम्पादित करेंगे।
5. उक्त अवधि में मध्यप्रदेश के समस्त निजी विद्यालय, शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ की विद्यालय में उपस्थिति के सम्बन्ध में अपने स्तर पर स्वविवेक से समुचित निर्णय ले सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा । आदेश में वर्णित उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

13.3.2020
(रश्मि अरुण शमी)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 484 /670 / 2020/20 -2 — भोपाल, दिनांक 13.03 . 2020

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी

2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग/गृह विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/ वन विभाग / सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग श्रम विभाग खेल एवं युवक कल्याण विभाग/ महिला एवं बाल विकास विभाग
3. विशेष सहायक , माननीय मंत्रीजी , स्कूल शिक्षा विभाग
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
5. स्टाफ ऑफिसर , अपर मुख्य सचिव एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन , मंत्रालय
6. आयुक्त , लोक शिक्षण संचालनालय
7. आयुक्त, जनसंपर्क म.प्र.
8. संचालक , राज्य शिक्षा केंद्र
9. समस्त संभागायुक्त , मध्य प्रदेश
10. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल
11. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल
12. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत (समस्त)
14. संचालक , मध्यप्रदेश ओपन बोर्ड , भोपाल
15. निदेशक , महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान , भोपाल
16. सचिव,मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, भोपाल
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.
18. जिला शिक्षा अधिकारी , समस्त , मध्यप्रदेश
19. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र मप्र
20. सहायक आयुक्त , आदिवासी विकास , समस्त

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13/3/2021

(सुधीर कुमार कोचर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग